



F- 07-08
F- 07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 963 का संशोधन सहित नवीकरण /
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 963

विषय / Sub: यूनिट लाइट एमर्जेसी, पार्ट सं. 205 सीएक्स / 80090ए /
Unit Light Emergency, Part No.: 205 CX / 80090A

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स कोहिनूर स्लाइड रूल्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, कोहिनूर बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी रोड, लंका, वाराणसी-221 005, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "यूनिट लाइट एमर्जेसी" पार्ट सं. 205सीएक्स/80090ए, को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-963, दिनांक 20 जुलाई 2002, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 963 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-963/2आर दिनांक 03 अक्टूबर 2012 द्वारा नवीकरण किया गया था, जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक थी।

This is to state that the "Unit Light Emergency" to the bearing Part No.: 205 CX / 80090A, designed, developed and manufactured by M/s Kohinoor Slide Rules Fabrik Private Limited, Kohinoor Building, University Road, Lanka, Varanasi - 221 005 has been issued with Type Approval No.: 963, vide reference No.: CEMILAC/5070/TA-963, dated: 20th July 2002. Subsequently it was renewed vide reference No.: CEMILAC/5070/TA-963/2R, dated: 03rd October 2012, with validity up to 31st December 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण **01 अप्रैल 2018** से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा **30 अप्रैल 2023** तक वैध है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आरए.एम.सी. (कानपुर), सेमिलैक, डीआरडीओ, द्वारा एचएएल (टीएडी), पोस्ट ऑफिस - चकेरी एयरोड्रोम, कानपुर - 208 008 से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st April 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th April 2023. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Kanpur), CEMILAC, DRDO, C/o HAL (TAD), PO. Chakeri Aerodrome, Kanpur – 208 008 three (03) months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including user's performance feedback, quantity produced & rejection, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-963, दिनांक 20 जुलाई 2002 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-963, dated: 20th July 2002 is amended as stated herewith.

“अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।


All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं / .No.: सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA-963/3R

दिनांक / Date : 07 April 2018

फैक्स सं / .Fax No: 080-2523 0856

 30th Apr 18


पी जयपाल / P.JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)